न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या 75/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/141)

1. रामौतार पुत्र रामधन उम्र 42 वर्ष,
2. रामस्वरूप पुत्र रामधन, उम्र 40 वर्ष
3. सुमेर पुत्र रामधन, उम्र 35 वर्ष
4. राजू पुत्र रामधन, 32 वर्ष
   समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम हिंगोटिया तहसील दौसा जिला दौसा।

– **अपीलान्टस**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर दौसा जिला दौसा।
2. जिला कलेक्टर दौसा जिला दौसा।
3. सहायक कलेक्टर दौसा जिला दौसा।
4. तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 10.01.2011 न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा आंवटन क्रमांक आर 11 एस (67) 2010/307

उपस्थित–

1. श्री राजाराम चौधरी, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 1 से 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –18.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 10.01.2011 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 10.03.2011 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.01.2011 द्वारा प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हिंगोटिया पं.सं. दौसा के अनुरोध एवं तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा के प्रस्ताव दिनांक 15.11.2010 एवं शिविर प्रभारी अधिकारी, सहायक कलक्टर दौसा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम हिंगोटिया, तहसील दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि ख0नं0 167 रकबा 0.36 है0 भूमि को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हिंगोटिया के स्कूल भवन निर्माण राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनावधिकारित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 यथा संशोधित के प्रावधानों व शर्तों के अन्तर्गत आवंटन करने के आदेश पारित किये गये हैं। इसी अपीलाधीन आवंटन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प, दौसा के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसे भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प, दौसा न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.05.2012 के द्वारा जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की अनियमिता नहीं होने से खारिज कर दी गई तथा जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2011 यथावत रखा गया।

   भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प, दौसा न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.04.2021 के द्वारा उक्त अपील स्वीकार करते हुए भू–प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर (कैम्प दौसा) के निर्णय दिनांक 25.05.2012 को अपास्त करते हुए प्रकरण में पक्षकारान को पुनः सुनकर निर्णय पारित करते हुए रिमाण्ड कर दिया गया। राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक (17) राजस्व (ग्रुप–6) 2019/112 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 धारा 75–76 में विचाराधीन पत्रावली का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा के यहाँ कर दिया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

3. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 10.01.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स रामौतार पुत्र रामधन वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2011 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 0.36 है० भूमि में से अपीलान्ट 0.20 है0 भूमि पर काफी वर्षों से काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि में वह टीन शेड एवं छप्पर पोश मकान बनाकर निवास कर रहा है। उक्त भूमि खाली नहीं होने के बावजूद उसे सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही आवंटन कर दिया गया । जबकि अपीलान्टस का कब्जा खसरा परिवर्तनशील में अंकित था। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त आराजी से सम्बन्धित एक वाद सिविल न्यायालय (क.ख.) दौसा में लम्बित था जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा मौके की यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिये गये। इसके बावजूद भी उक्त भूमि का आवंटन कर दिया गया। ऐसी सूरत में पेन्डेन्सी ऑफ सूटस की अवस्था में भूमि का आवंटन नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स ने उक्त भूमि के उसके पक्ष में नियमन हेतु शुल्क भी जमा करा दिया गया था। अपीलान्ट्स के अनुसार उक्त भूमि का आवंटन चुनावों में सरपंच से रंजिश के कारण तहसीलदार, दौसा व जिला कलक्टर दौसा से मिलीभगत कर करवाया गया है।

अपीलांट को योग्य अधीनस्थ जिला कलेक्टर द्वारा पारित उक्त आवंटन आदेश की जानकारी होने पर अपीलांट ने कलेक्ट्री में जाकर उक्त आवंटन आदेश के बारे मे जानकारी की तो उक्त आवंटन आदेश की जानकारी अपीलांट को होने पर अपीलांट ने दिनांक 25.02.2011 को नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 25.02.2011 को नकल प्राप्त हुई है। अतः विलम्ब को कन्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जावे। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ जिला कलेक्टर दौसा का आवंटन आदेश दिनांक 10.01.2011 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 ने बहस के दौरान अपीलान्ट की अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय हिंगोटिया, पं.सं. दौसा के अनुरोध पर तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा ने अपने प्रस्ताव पत्र दिनांक 15.11.2010 एवं शिविर प्रभारी अधिकारी (सहायक कलेक्टर, दौसा) ने अपने पत्र क्रमांक 637 दिनांक 13.12.2010 के द्वारा ग्राम हिंगोटिया तहसील दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि ख0नं0 167 रकबा 0.36 है0 भूमि को राजकीय प्राथमिक विद्यालय हिंगोटिया पं.स. दौसा के स्कूल भवन निर्माणार्थ आवंटन करने का प्रस्ताव जिला कलक्टर दौसा को प्रेषित किया गया।

जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.01.2011 द्वारा प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हिंगोटिया पं.सं. दौसा के अनुरोध एवं तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा तथा शिविर प्रभारी अधिकारी (सहायक कलक्टर दौसा) की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम हिंगोटिया, तहसील दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि ख0नं0 167 रकबा 0.36 है0 भूमि को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हिंगोटिया पं0स0 दौसा के स्कूल भवन निर्माणार्थ (जरिये प्रधानाध्यापक) राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 यथा संशोधित के प्रावधानों व शर्तों के अन्तर्गत आवंटन करने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः यह अपील अपीलान्ट खारिज कर जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.01.2011 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) दौसा द्वारा जारी स्थगन आदेश से पूर्व ही किया जा चुका है। प्रकरण में 91 की कार्यवाही की हुई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि समय–समय पर अतिक्रमी की बेदखली की गई है तथा निरंतर कब्जा साबित करने में विफल रहे। अपीलान्ट द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भी अपील चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2011 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.01.2011 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।